

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक / अवि.वि.नि.लि / वि.स. / व.ले. (राजस्व) / अजमेर / प्रे. 3713 / दिनांक 21-2-2005

आदेश

विषय :- विच्छेदित विद्युत सम्बन्ध पुनः जोड़ने से प्राप्त राजस्व पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान।

उपरोक्त विषयान्तर्गत तत्कालीन रा.रा.वि.म. के वित्तीय महालेखाकार द्वारा विद्युत सम्बन्ध विच्छेद करने के फलस्वरूप प्राप्त राजस्व पर पुनः सम्बन्ध स्थापित करने की फीस में से सम्बन्धित कर्मचारियों / कामगारों को भुगतान करने की प्रक्रिया के आदेश प्रे.स.रा.रा.वि.म. / वि.स. / प्रे. 729 दिनांक 18.09.97, द्वारा पी.सी.बी. से करने के आदेश पर महालेखाकार कार्यालय के अधिकारियों ने विपरीत टिप्पणी की है।

उक्त परिपेक्ष्य में विद्युत निगमों की आडिट समिति से लिये गये निर्णय के अनुसार विच्छेदित विद्युत सम्बन्धों की पुनः स्थापना से प्राप्त प्रोत्साहन फीस में से प्रोत्साहन राशि का भुगतान दिनांक 1.03.2005 से सम्बन्धित पात्र कर्मचारियों / कामगारों को इस सम्बन्ध में समय-समय पर प्रसारित आदेश के अन्तर्गत पी.सी.बी. से सीधे ही नहीं किये जाकर संलग्न प्रपत्र के विवरणानुसार महालेखाकार तैयार कर वृत्त लेखाधिकारी से पारित करवाकर किया जाये। सम्बन्धित वृत्त लेखाधिकारी प्राप्त विवरण को मूल पी.सी.बी. से स्थापित एवम् वेतन भत्तों की पंजीव (सी.-1) में इन्द्राज करवाकर ही टी.डब्ल्यू.सी. (T.W.C.) में भुगतान पारित करवाये।

दिनांक 1.03.05 के बाद सभी उक्त भुगतान सहायक अधिकारियों द्वारा सीधे ही पारित नहीं कर उक्त प्रावधानानुसार ही किये जायें।

इस सम्बन्ध में अवश्यक संशोधित बजट प्रावधान वित्तीय वर्ष 2004-05 व 2005-06 के लिये प्रस्तावित अवश्य करवायें।

यह आदेश इस सम्बन्ध में समय-समय पर प्रसारित आदेशों के प्रतिस्थापनार्थ जारी किया गया है।

संलग्न :- प्रपत्र एक

प्राप्ति नं. 11135	दि 3/3/05
अनुमाण. S.C. No.	
28/2/05 R.A.	

(इन्द्र घुन्ना)
 वित्तीय सलाहकार एवं लेखा नियन्त्रक
 अवि. वि. नि. लि., अजमेर

78

Accd
 4/5/3
 Sr. A. (1/2)
 3/3

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य / ~~सम्भागीय~~ मुख्य अभियन्ता (asst), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर / उदयपुर / धुन्डुगू।
2. वित्तीय सलाहकार एवं लेखानियन्त्रक, जयपुर / जोधपुर डिस्कॉम जयपुर / जोधपुर।
3. सचिव (प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
4. वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (CAW-III), कार्यालय महालेखाकार, जयपुर।
5. अधिक्षण अभियन्ता () अ.वि.वि.नि.लि., _____।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी / सम्भागीय वरिष्ठ लेखाधिकारी (), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर / उदयपुर / धुन्डुगू।
7. कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
8. अधिशाषी अभियन्ता (परि. एवं संचा. / _____), अ.वि.वि.नि.लि., _____।
9. सहा. सचिव (A.&P), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
10. लेखाधिकारी (परि. एवं संचा. / आ.अ. / ई.ए.), अ.वि.वि.नि.लि., _____।
11. सहायक अभियन्ता (परि. एवं संचा. / _____), अ.वि.वि.नि.लि., _____।
12. निजी सहायक प्रबन्ध निदेशक, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
13. कार्यालय आदेश पत्रावली / मास्टर फाइल।

संलग्न : प्रपत्र एक

WV 2
 (एन.के.जे.के.)
 कार : लेखाधिकारी (संचा. एवं
 अ.वि.वि.नि.लि. अजमेर)